

न्यायालय- वाणिज्यक न्यायालय संख्या 01 मेरठ।

मूल वाद संख्या- 96/2023 (पुराना नंबर 282/2019)

करुर वैश्य बैंक लिमिटेड बनाम रेखा रानी और अन्य

दिनांक 15-10-2024

वाद पुकारा गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 38 ग

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 38 ग प्रतिवादीगण द्वारा शपथपत्र कागज संख्या 39 ग के साथ आदेश दिनांक 02-09-2024 को रिकाल कर वाद को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैंने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 38 ग को हर्जे पर स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में दिनांक 02-09-2024 वादी से जिरह हेतु नियत थी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 2 के चाचा बुलन्दशहर में बीमार थे जो परिवार सहित उन्हें देखने गये थे जिसकी सूचना वकील साहब को नहीं दे पाये, इसलिए कोई प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में नहीं दिया गया तथा न्यायालय ने दिनांक 02-09-2024 को अनुपस्थित मानते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये। प्रतिवादीगण ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की हैं। इसलिए आदेश दिनांक 02-09-2024 को रिकाल कर वाद को गुण दोष के आधार पर निर्णीत करने की कृपा की जाये।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 02-09-2024 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण वाद की कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित कर दी गयी है। अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 38 ग स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 38 ग मुबलिग 200/- रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा वाद की कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित करने का आदेश दिनांक 02-09-2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 07-11-2024 को साक्षी पी.डब्लू. 1 से प्रतिपरीक्षा हेतु पेश हो।

दिनांक 15-10-2024

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01,
मेरठ।